न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 08 / 2023

1 केशरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
2 घसीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
3 सोहनलाल पुत्र जगन्नाथ
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 कन्हैयालाल पुत्र झूमरमल
2 भावना देवी पुत्र झूमरमल
3 राधेश्याम पुत्र झूमरमल
4 रामपाल पुत्र झूमरमल
5 रामोतार पुत्र झूमरमल
6 सन्तोष कुमार पुत्र झूमरमल
7 बोदूलाल पुत्र मनरूपा
8 सुखदेव पुत्र जमना
9 प्रेम कुमारी पुत्री कुनणमल
10 नरेश कुमार पुत्र कुनणमल
11 भंवरलाल पुत्र जमना
12 संतोष देवी पत्नी कुनणमल
13 प्रकाश पुत्र कुनणमल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर।
14 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर।
15 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.11.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर
उनवानी केशर देवी बनाम कन्हैयालाल आदि
मु.नं. 78/2022 अपील अ. धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

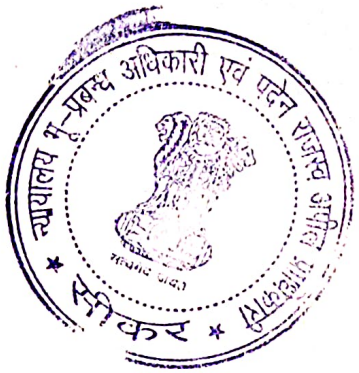

—निर्णय—

दिनांकः— 25/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 134 तन ग्राम लोसल छोटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की काश्त भूमि खसरा नम्बर 134 में आवागमन का कोई कटाणी रास्ता नहीं लगने पर उन्होंने रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 139/1, 139/2 व 135 से होकर रास्ते की मांग की गयी व इस आशय की तहसील कार्यालय से रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये रेस्पोडेन्ट संख्या 8, 10 ता 13 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व अपना मूल आवेदन का जवाब प्रस्तुत किए बिना एक विधिक आपत्ति प्रस्तुत की।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिस पर विचारण न्यायालय ने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किए बिना ही अपीलान्ट का मूल आवेदन ही खारिज करने में भारी गलती की है। विचारण न्यायालय को यदि प्रकरण अ. धारा 251 ए आरटीएक्ट का नही पाये जाने की स्थिति में प्रचलित रास्ता माना जाता है तो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 तथा भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार व राज्य सरकार की हिदायतो व नियमों के अनुसार व अभी हाल में सरकार द्वारा चलाये गये अभियान के अनुसार रास्ता कायम करने में सक्षम हाते हुए भी विचारण न्यायालय ने अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना ही अपनी आज्ञा जैर अपील विधी विरूद्ध पारित करने में गलती की है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर की आज्ञा जेर अपील दिनांक 15.11.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 134 तन ग्राम लोसल छोटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रार्थीगण के आवेदन अ. धारा 251 ए आरटीए की मद संख्या 4 में अप्रार्थीगण सं. 08 ता 13 द्वारा प्रस्तावित रास्ते को छड़िया डालकर बाधित करने के कथन का उल्लेख किया है, उक्त अनुतोष के संबंध में अ. धारा 251 आरटीए के अनुसार एक भू धारक (कृषक) द्वारा अन्य कृषकों की भूमि से होकर अपनी जोत पर आने–जाने के रास्ते या अन्य कोई अधिकार (जैसे– खेत में सिचाई के लिए पानी ले जाना या कृषि औजारों ओर बैलों को ले जाना) जिसका वह उपभोग करता आ रहा है, उनके उपभोग करने में अन्य कृषक द्वारा कोई रूकावट या बाधा डाली जाये तो वह तहसीलदार को आवेदन कर इस प्रकार की बाधा को हटवा सकता है। जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रकरण धारा 251 ए आरटीए का न होकर मार्ग व अन्य निजी सुखाचारों का अधिकार धारा 251 आरटीए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के तहत बनता है, जिसका सुनवाई का अधिकार विचारण न्यायालय को न होकर तहसीलदार को होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत आवेदक खातेदार अपनी जोत भूमि में आवागमन तथा यातायात हेतु तभी आवेदन कता है , जबकि उसके रास्ते लगता नहीं हो या पूर्व से राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते की चौड़ाई विस्तारित की जानी हो। जबकि प्रार्थीगण ने हस्तगत आवेदन धारा 251 ए आरटीए में चाहे गये रास्ते में अप्रार्थीगण द्वारा छड़िया डालकर अवरोध पैदा करने का कथन किया है, जिसके संबंध में सुनवाई का अधिकार विचारण न्यायालय को नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन धारा 251 ए की परिधि में नहीं होने से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 134 तन ग्राम लोसल छोटी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के आवेदन अ. धारा 251 ए आरटीए की मद संख्या 4 में अप्रार्थीगण सं. 08 ता 13 द्वारा प्रस्तावित रास्ते को छड़िया डालकर बाधित करने के कथन का उल्लेख किया है, उक्त अनुतोष के संबंध में अ. धारा 251 आरटीए के अनुसार एक भू धारक (कृषक) द्वारा अन्य कृषकों की भूमि से होकर अपनी जोत पर आने–जाने के रास्ते या अन्य कोई अधिकार (जैसे– खेत में सिचाई के लिए पानी ले जाना या कृषि औजारों ओर बैलों को ले जाना) जिसका वह उपभोग करता आ रहा है, उनके उपभोग करने में अन्य कृषक द्वारा कोई रूकावट या बाधा डाली जाये तो वह तहसीलदार को आवेदन कर इस प्रकार की बाधा को हटवा सकता है। जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रकरण धारा 251 ए आरटीए का न होकर मार्ग व अन्य निजी सुखाचारों का अधिकार धारा 251 आरटीए के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहत बनता है, जिसका सुनवाई का अधिकार विचारण न्यायालय को न होकर तहसीलदार को होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदन की मद संख्या 3 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 134 में आवागमन ग्राम छोटी लोसल से बड़ी लोसल को जाने वाले रास्ते सड़क टल कर कटानी रास्ता खसरा नम्बर 886/518, 887/514, 889/513 से होकर खसरा नम्बर 138 के पश्चिमी साईड से खसरा नम्बर 139/2 व 139/1 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 135 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे होकर 15 फीट चोड़ाई का रास्ता हमेशा से उपयोग उपभोग प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाध रूप से हर मौसम में करते आ रहे है व उंट गाड़ी ट्रेक्टर ट्रॉली हर प्रकार का वाहन व पैदल आवागमन के काम में लेते आ रहे है। नजरी नक्शे में दर्शित निशानात ख व ग में अपार्थीगण संख्या 8 से 13 ने छड़ियां डालकर बाधा उत्पन्न कर दी है। प्रार्थीगण ने हस्तगत आवेदन धारा 251 ए आरटीए में चाहे गये रास्ते में अप्रार्थीगण द्वारा छड़िया डालकर अवरोध पैदा करने का कथन किया है, जिसके संबंध में सुनवाई का अधिकार विचारण न्यायालय को नही है। प्रकरण स्पष्ट तौर पर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में पाया जाता है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन धारा 251 ए की परिधि में नहीं होने से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार (आ.))
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपीलीय अधिकारी